B.A.part-3,6th paper

क्रिप्स मिशन

एक ओर तो ब्रिटिश सरकार भारत के संवैधानिक प्रश्न पर 8 अगस्त, 1940 ई. के प्रस्ताव से आगे बढ़ाने को तैयार नहीं थी दूसरी ओर युद्ध की परिस्थितियाँ मित्र राज्यों के ज्यादा प्रतिकूल होती जा रही थीं, पूर्वी एशिया में जापान की सफलताओं ने संयुक्त राज्य अमरीका, चीन, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड आदि देशों को हिलाकर रख दिया था. यह महसूस किया जा रहा था कि जापानी आक्रमण का सामना भारतीयों की पूर्ण सहायता मिलने पर ही सम्भव है. कांग्रेस

Scanned with CamScanner

अपनी शर्तों पर यह सहायता देने को तैयार थी जनवरी 1942 ई में कांग्रेस समिति ने सहायता देने की इच्छा व्यक्त की बशर्ते ब्रिटेन ऐसी स्थिति पैदा करे कि भारत लोकतन्त्र और आजादी के लिए लड़ाई लड़ सके कांग्रेस के इस प्रस्ताव से उत्साहित होकर नेहरू जैसे नेताओं ने प्रधानमन्त्री चर्चिल से माँग की कि राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करके सहयोग प्राप्त किया जाए किन्तु चर्चिल पुराने अडियल रास्ते पर डटे रहे एटली को उन्होंने लिखा "मुझे आशा है कि मेरे सहयोगी समझेंगे कि संवैधानिक प्रश्न खड़ा करने में इस समय खतरा है और संवैधानिक परिवर्तन करने में तो और भी अधिक खतरा है." एटली इस नीति को 'अदूरदर्शी तथा आत्मघातक' मानते थे उन्होंने इस पर जोर दिया कि भारतीय समस्या का समाधान करने के लिए किसी उच्च अधिकार सम्पन्न व्यक्ति को भारत भेजा जाए

फरवरी 1942 तक पूर्वी एशिया में युद्ध की स्थिति और बिगड़ गई जापान की सेना के हमले बर्मा तथा मलाया पर होने लगे इस स्थिति में चीन के राष्ट्रपति च्यांग काई शेक ने ब्रिटेन को सुझाव दिया कि "भारत की माँग की प्रतीक्षा किए बगैर ही ग्रेट ब्रिटेन को चाहिए कि यथासम्भव शीघ्र उन्हें वास्तविक राजनीतिक शक्ति प्रदान कर दे." इतना ही नहीं भारत की स्थिति से संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट को अवगत कराते हुए उन्होंने चेतावदी दी कि "यदि ब्रिटिश सरकार भारत के प्रति अपनी नीतियों में मूलभूत परिवर्तन नहीं करेगी तो वह एक प्रकार से भारत को शत्रु को भेंट कर देगी." आस्ट्रेलिया की सरकार भी भारतीय सहायता पाने हेतु संवैधानिक समस्या के समाधान की पक्षधर थी वहाँ के विदेशमन्त्री ने अपनी संसद में कहा "हम मित्र राष्ट्रों के पक्ष में भारत के स्वशासित राष्ट्र के रूप में हिस्सा लेने की आकांक्षा से हमदर्दी रखते हैं." सयुक्त राज्य अमरीका भी चर्चिल की भारत नीति से असन्तुष्ट था फरवरी 1942 ई. को रूजवेल्ट ने, चर्चिल की घोषणा का कि अटलांटिक चार्टर भारत पर लागू नहीं होता है खण्डन करते हुए, घोषणा की कि चार्टर "सारी दुनिया पर लागू होता है." समनर वेल्स के, जो 1942 ई में सयुक्त राज्य अमरीका के राज्य सचिव थे, अनुसार "राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने मि. चर्चिल को इस बात के लिए राजी हो जाने का अनुरोध किया था कि भारतीय स्वाधीनता में और ज्यादा देरी न की जानी चाहिए." देश के अन्दर मजदूर दल व प्रेस का दबाव तथा देश के बाहर मित्र राज्यों, विशेषकर, अमरीका के दबाव के चलते चर्चिल के लिए जरूरी हो गया कि वह भारत की समस्या का समाधान करने के

Scanned with CamScanner

प्रयास नहीं तो कम से कम प्रयास करने का दिखावा तो करे इसी का परिणाम था कि 11 मार्च, 1942 ई. को क्रिप्स मिशन की घोषणा की गई

क्रिप्स प्रस्ताव—इस घोषणा में चर्चिल ने बताया कि क्रिप्स संवैधानिक सुधार सम्बन्धी प्रस्तावों पर भारतीय नेताओं से बात करने और उनकी सहमति प्राप्त करने के लिए भारत जाएँगे क्रिप्स को निर्देश दिए गए थे कि "**वह न केवल बहुसंख्यक हिन्दुओं से ही आवश्यक सहमति प्राप्त करें, अपितु सबसे अधिक संख्या वाली अल्पसंख्यक जाति मुस्लिम की भी सहमति प्राप्त करें.**" प्रस्ताव का मसौदा 23 मार्च को कार्यकारी परिषद् के समक्ष, 25 तारीख को भारतीय नेताओं के समक्ष तथा 29 मार्च को पत्रकार सम्मेलन बुलाकर जनता के समक्ष रखा गया

क्रिप्स प्रस्ताव की प्रस्तावना में भारत को संघीय गणराज्य बनाने की बात की गई थी तथा यह स्पष्ट कर दिया गया था कि "**भारत का दर्जा सब तरह से डोमीनियनों के बराबर होगा और वह अपने आन्तरिक या बाह्य मामलों में किसी प्रकार से अधीन नहीं रहेगा.**" प्रस्तावित योजना के पहले भाग में डोमीनियन संविधान बनाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया था. इस प्रक्रिया के अनुसार प्रान्तों की विधान सभाओं के निर्वाचन कराए जाते. तदुपरान्त इन विधान सभाओं के नवनिर्वाचित सदस्य तथा देशी राज्यों के प्रतिनिधि मिलकर एक संविधान सभा का निर्वाचन करते. निर्वाचन आनुपातिक निर्वाचन पद्धति से होता. संविधान सभा के सदस्यों की संख्या निर्वाचक मण्डल की संख्या का $\frac{1}{10}$ होगी. प्रान्तों को इस बात का अधिकार था कि वह प्रस्तावित संघ योजना में सम्मिलित न होकर अपने लिए पृथक् संविधान का निर्माण करें. संविधान सभा तथा ब्रिटेन की सरकार के मध्य सन्धि के द्वारा अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक प्रावधान किया जाएगा. भारत के डोमीनियन को साम्राज्य से पृथक् होने का अधिकार होगा.

योजना के दूसरे भाग में तात्कालिक व्यवस्था सम्बन्धी परिवर्तनों का सुझाव दिया गया था. इन सुझावों के अनुसार 1935 ई. के संविधान में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना था. "**ब्रिटिश सरकार भारत की रक्षा के लिए उत्तरदायी होगी, परन्तु वह मुख्य भारतीयों लोगों के नेताओं का तुरन्त और प्रभावशाली ढंग से राष्ट्र मण्डल और संयुक्त राष्ट्र के कार्यों में योगदान चाहती है, ताकि वे उस कार्य को, जो भावी भारतीय स्वतन्त्रता के लिए अत्यन्त आवश्यक है, निभाने में और पूर्ण करने में सक्रिय तथा निर्माणकारी सहायता कर**

Scanned with CamScanner

कांग्रेस नेताओं के साथ अपनी वार्ता में क्रिप्स ने तात्कालिक व्यवस्था के सम्बन्ध में जो स्पष्टीकरण दिए उनके अनुसार वायसराय की परिषद् के सभी सदस्य भारतीय हो जाते. प्रतिरक्षा विभाग भी भारतीय सदस्य को सौंप दिया जाता, किन्तु प्रतिरक्षा सम्बन्धी कोई भी ठोस अधिकार उस मन्त्री को नहीं दिया जाना था वह जन-सम्पर्क तथा सैनिकों की जरूरतों आदि जैसे कामों के लिए होता यह योजना कांग्रेस को किसी भी तरह स्वीकार्य न थी. इसके प्रति नेहरू ने अपना आक्रोश निम्न शब्दों में व्यक्त किया, ''समकालीन सरकार का ढाँचा उसी प्रकार रहेगा और वायसराय की निरंकुशता बनी रहेगी, और हममें से कुछ लोग वर्दी पहनकर उनके सेवक तथा अल्पाहार गृहों इत्यादि की देखभाल करना आरम्भ कर देंगे.'' युद्धकालीन प्रस्तावों पर कांग्रेस के दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना आजाद ने लिखा, ''मैं चाहता था कि ऐसी प्रथा चला दी जाए कि परिषद् वस्तुतः मन्त्रिमण्डल के रूप में काम करेगी और वायसराय संवैधानिक प्रधान की तरह. अगर हम इस मत पर सन्तुष्ट हो जाते तो हम यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेते.'' आरम्भ में क्रिप्स कांग्रेस को सन्तुष्ट करने के लिए तैयार थे. लिनलिथगो ने एमरी से उनकी शिकायत की ''क्रिप्स ने खुलेतौर पर एक ऐसी राष्ट्रीय सरकार की बात की थी जिसका अध्यक्ष वायसराय होगा.'' किन्तु क्रिप्स को भारत के गवर्नर जनरल तथा युद्ध मन्त्रिमण्डल का समर्थन इस मुद्दे पर प्राप्त नहीं हो सका. लिनलिथगो ने साफ कह दिया कि ''कार्यकारिणी परिषद् के विषय में जो मुझे वैधानिक अधिकार प्राप्त हैं, उनका उपयोग करना मैं नहीं छोड़ूँगा.'' इंगलैण्ड की सरकार ने लिन-लिथगो का समर्थन किया तथा क्रिप्स को अपनी स्थिति से पीछे हटना पड़ा. वह राष्ट्रीय सरकार के सम्बन्ध में आश्वासन देने में असमर्थ हो गए अतः क्रिप्स मिशन असफल रहा.

यद्यपि मिशन की असफलता का कारण उसकी तात्कालिक योजना थी, तथापि उसके दीर्घकालीन योजना के प्रस्ताव भी भारतीयों को स्वीकार्य नहीं थे. गांधी की दृष्टि में यह सुझाव ''टूटते हुए बैंक पर उत्तर तिथीय चैक'' के रूप में थे. प्रस्तावों में भारत के विखण्डन की साजिश छिपी हुई थी तथा प्रान्तों को अलग रहने की स्वतन्त्रता देकर अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की माँग को ही स्वीकार नहीं किया गया था. अपितु भारत के बाल्कनीकरण का रास्ता तैयार कर दिया गया था लीग को प्रस्तावों से यह शिकायत थी कि इसमें पाकिस्तान की माँग को सीधा स्वीकार नहीं किया गया

Scanned with CamScanner

था. क्रिप्स मिशन को असफल बनाकर इंगलैण्ड की सरकार ने प्रसन्नता का अनुभव किया. एडवर्डीज के शब्दों में, "**जब चर्चिल को भारत से यह खबर मिली कि क्रिप्स का मिशन असफल हो गया तो ऐसा कहा जाता है कि वह मन्त्रिमण्डल के कमरे में नाचने लगा.**" यह प्रसन्नता स्वाभाविक थी, क्योंकि जैसाकि हेरल्ड लास्की ने सन्देह व्यक्त किया "**हमारा उद्देश्य भारत को स्वतन्त्रता देना नहीं है, अपितु अपने मित्रों में एक प्रकार का प्रचार करना था.**" क्रिप्स को भेजा गया चर्चिल का तार स्थिति को पूर्णतः स्पष्ट कर देता है "**आपको इस परिणाम से यों ही हतोत्साहित या निराश नहीं होना चाहिए. ब्रिटेन और अमरीका पर इसका प्रभाव पूर्णरूप से लाभप्रद रहा है. चाहे आपकी आशाओं की पूर्ति नहीं हुई हो, परन्तु आपने दोनों पक्षों की पूर्ण सेवा की है.**"

Scanned with CamScanner